न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2023/97

क्षेत्रीय वन अधिकारी वनखण्ड इटावा जिला कोटा जरिये क्षेत्रिय वन अधिकारी वनखण्ड इटावा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी चौथमल जाति मीणा निवासी ग्राम मोरखुन्दना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री असलम अंसारी, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री मुकेश मीणा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.01.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 447/2014 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम मोरखुन्दना पटवार क्षेत्र डूंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा संख्या 211 रकबा 0.98 हैक्टेयर बारानी प्रथम उत्तम कृषि आराजी स्थित है। विगत दिनांक 31.5.2014 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीया को उसकी कृषि आराजी में अंतिचार करने एवं रोक कर वादग्रस्त आराजी पर जबरन गड्डे खुदावाना आदि की धमकी दिये जाने से वादीया को अपने काश्तकारी अधिकारों से वंचित होने की आशंका उत्पन्न हो गई। वादीया को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की सहायता से काश्तकारी अधिकारों की रक्षार्थ घोषणा कराकर स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश मय डिकी प्राप्त करें। विगत दिनांक 31.05.2014 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा जबरन वादग्रस्त आराजी पर अतिचार कर गड्डे खुदवाने की धमकियॉ दिये जाने से वादीया को वाद कारण उत्पन्न है। वादीया को वादग्रस्त आराजी को जबरन गड्डे खुदवाने की धमकियॉ दिये जाने से वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार पीपल्दा को निवेदन करने पर तहसीलदार महोदय द्वारा न्यायालय श्रीमान

के समक्ष वाद प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश मय डिकी पारित फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जर्ये प्रतिनिधि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.98 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरखुन्दना पटवार क्षेत्र डूंगरली तहसील पीपल्दा जिला कोटा पर किसी प्रकार का कोई मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2017 को वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किए जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.06.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 13.06.2017 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.07.2019 को हुई। चन्द्रकला द्वारा जानकारी देने पर हुई और जानकारी होते ही अधिवक्ता से सलाह करके उसी दिन दिनांक 08.07.2019 को नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 16.07.2019 को नकल प्राप्त की। उसके बाद अपीलांट अपील करने हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर में अपील करने हेतु इजाजत लेने हेतु आवेदन किया जिस पर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा अपने पत्र कमांक 26(29)2020/विधि/प्रमुवस दिनांक 28.11.2022 को इजाजत प्राप्त होने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पर अपीलांट ने उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावलियों की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन किया तथा अपने कार्यालय के कार्य भी सम्पन्न कराये। इसके बाद अविलम्ब अपने अधिवक्ता से सलाह मशवरा करके यह अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन फरमाते हुए अपील अवधि मध्य शुमार किया जाना न्यायोचित है। अपील में हुई देरी को डिले कंडोन किया जाना सदभाविक दृष्टि से न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने मे हुए विलम्ब को डिले कंडोन किये जाने का आदेश फरमावे। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अवधि मध्य होने की आज्ञा फरमाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा उपरोक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय में दिनांक 13–6–2017 पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की है। अपीलांट ने उक्त निर्णय दिनाक 13–6–2017 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 8–7–2019 को होना बताई है। जिसकी नकल के लिए आवेदन दिनांक 8–7–2019 को प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनाक 16–7–2019 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलांट ने उक्त निर्णय दिनांक 13–6–2017 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 8–7–2019 को हो गई थी। जिसकी अपील अपीलाट के द्वारा दिनांक 17–4–2023 को प्रस्तुत की है जो टाईम बार्ड है और मियाद अविध में ना होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–6–2017 की जानकारी दिनांक 8–7–2019 को बताई है। इस प्रकार अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील लगभग 6 वर्षो बाद पेश की है। परंतु अपील देरी पेश करने का कोई समुचित कारण अपने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अंकित नहीं किया है। जबकि धारा 5 मियाद अधिनियम के सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने विधि को स्थापित कर दिया है कि अपील की सुनवाई करने के पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। चूंकि अपीलांट की अपील टाईम बार्ड है, जिसमें प्रार्थना पत्र देरी से पेश होने का कोई समुचित कारण प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में नही बताया हैं जो कारण बताया है वह आवश्यक व समुचित कारण नहीं है। अपीलांट की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह अपील को समयावधि में पेश करते। किसी भी प्रकरण में किसी भी अपील में एक बार लिमिटेशन शुरू हो जाती है तो वह निरंतर रूप से जारी रहती है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी स्वयं अपीलांट की है अपीलांट ने जानबूझकर अपील को समयावधि में माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया है इसलिए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट ने स्वयं ही जानकारी दिनांक 8–7–2019 को बताई है जबकि अपील दिनांक 17–4–2023 को पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किए

जाने योग्य है। साथ ही अपीलांट की अपील भी मियाद अवधि से बाधित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।अतः जवाब प्रस्तुत कर विनय है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने के कारण भारी हर्जे खर्चे पर खारिज फरमाया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधी. न्यायालय खिलाफ कानून व रूयदाद मिसल होने की बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम मोरखुन्दना के खसरा नम्बर 211 की रकबा 0.98 हे० भूमि वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड के अनुसार चन्द्रकला पत्नी चोथमल मीणा साकिन दहे खातेदारी में दर्ज है।क उक्त आराजी के साबिक खसरा नं 196/57 रकबा 5 बीघा नामांतरण संख्या 73/19.8.1972 से मन्नालाल पुत्र भैरूलाल मीणा को भू आवंटन मे गैरखातेदार दर्ज कर दी गयी थी। उक्त विवादित आराजी खसरा नं 211 की रकबा 0.98 हे. के साबिक खसरा नं 196/57 का मूल खसरा नं 57 की रकबा 106 बीघा 10 बिस्वा का ही भाग है, जो राज. राज प. फरवरी 17,1994 की संलग्न अनुसूची मे समाविष्ट वन भूमि/वनखण्ड के रूप मे राज. वन अधिनियम 1953 का राजस्थान अधिनियम 13 की धारा 29 की उपधारा 3 के अधीन अभिलेखित होकर होकर विज्ञप्ति संख्या 7 (197) राज.8 71 दिनांक 24.4.1973 के अनुसरण मे वन विभाग की घोषित भूमि है।क उपरोक्त विवादित आराजी पर वन विभाग द्वारा अपनी भूमि मानते हुए पौधा रोपण हेतु खाई, फेसिंग व खडडे खुदवानेके दौरान वन भूमि पर रेस्पो चन्द्रकला का काबिज होना ज्ञात हुआ। रेस्पोडेन्ट को भू आवंटन कार्यवाही के दौरान आवंटित कर दी गयी। आवंटित भूमि वन विभाग की वनखण्ड श्रृंखला की भूमि खसरा नं 57 की रकबा 106 बीघा 10 बिस्वा का हिस्सा है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र विज्ञप्ति दिनांक 24.4.1973 मे उल्लेखित है। अतः विवादित आराजी खसरा नं 57 के भू–भाग 196/57 जिसका नवीन खसरा नं 211 रकबा 0.98 हे. है, जो कि पूर्व मे वनभूमि होना राजस्व रेकॉर्ड मे स्पष्ट होता है, को पुनःवन विभाग के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपीलांट विभाग को उक्त वाद की कोई जानकारी नही थी ओर अपीलांट उक्त वाद में अपना पक्ष नही रख सका, ओर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का एक्सपार्टी आदेश करते हुए उक्त वाद का निर्णय पारित कर दिया जो कि कानून के सर्वमान्य सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 निरस्त किए जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो अपीलांट के पक्ष मे हो प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मोरखुन्दना तहसील पीपल्दा की खसरा नम्बर 211 रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आवंटनशुदा भूमि है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अपीलांट का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

Hnf

वादग्रस्त भूमि पर कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने के उद्देश्य से तार फेंसिग करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेदखल करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार कायम किया गया है तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रकरण के सम्बंध में प्रत्येक कार्यवाही की जानकारी रही है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 की भलीं–भांति जानकारी होने के बावजूद भी अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि विधिवत रूप से आवंटित हुई है। तथा प्रश्नगत भूमि नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 19.08.1972 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 19.08.1972 को अपीलांट द्वारा आज तक निरस्त नहीं करवाया गया है। अतः उक्त नामान्तकरण संख्या 73 आज भी अस्तित्व में है। नामान्तरकरण संख्या 73 को निरस्त करवाये बिना अपीलांट वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2012(2) डी.एन.जे.(राज.) पेज 1082, पेज 1083, 2012(3) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1321, 2012(2) डी.एन.जे.(राज.) पेज 781, 2012(2) डी.एन.जे.(राज.) पेज 783, आर. आर.डी. 1997 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पी.पी. नावोलेकर, आर.आर.डी. 1994 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम दुर्गादान फोर्स, 2002(1) एस.एस.सी. पेज 477, 2017(1) आर.आर.टी. पेज 117, 2013 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 829, 2017(1) आर.आर.टी. पेज 121, 2013 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 833, 2001 आर.बी.जे.(8) पेज 258, 2000(7) आर.बी.जे. पेज 157, ए.आई.आर. 1998 एस. सी. पेज 2276, 2002 आर.आर.डी. सितंबर पेज 528, 2008(1) आर.आर.टी. पेज 440, 2008(1) आर.आर.टी. पेज 445, 2021(1) आर.आर.टी. पेज 71, 2009(1) आर.आर.टी. पेज 179 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 यथावत जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2023/97

क्षेत्रीय वन अधिकारी वनखण्ड इटावा बनाम चन्द्रकला

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 के अनुसार ग्राम मोरखुंदना तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 12 की खसरा नम्बर 211 रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि चन्द्रकलाबाई पत्नि चौथमल जाति मीणा सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 211 रकबा 0.98 हैक्टेयर भूमि चन्द्रकलाबाई पत्नि चौथमल की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। पत्रावली मे संलग्न नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 19.08.1972 के अनुसार खसरा नम्बर 196/57 रकबा 5 बीघा भूमि मन्नालाल पुत्र भैरूलाल जाति मीना के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किए जाने का अंकन है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2039 से 2042 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 197/57 रकबा 5 बीघा भूमि पर फसल होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय में पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दु संख्या 2 में प्रश्नगत भूमि नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 19.08.1972(भू–आवंटन) से मन्नालाल वल्द भैरूलाल के नाम दर्ज होना स्वीकार किया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि मन्नालाल की आवंटनशुदा भूमि है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी में दर्ज भूमि पर अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035 से 2038 एवं सम्वत् 2039 से 2042 में भी वादग्रस्त भूमि पर फसल होने तथा कृषक के कॉलम में मन्नालाल पुत्र भैरूलाल का नाम अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 13.06.2017 में वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर अनवरत कब्जा काश्त होना अंकित किया है। अतः वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 211 गत खसरा नम्बर 57 का भाग है जो अधिसूचित वन भूमि है। चूंकि प्रश्नगत भूमि नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 19.08.1972 से आवंटित हुई है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 19.08.1972 को चुनौती दिए जाने के सम्बंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 19.08.1972 आज भी अस्तित्व में है। अपीलांट प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करवाये बिना वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि अपीलांट वादग्रस्त भूमि में स्वयं के हक अधिकार निहित होना मानता है तो वह प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधिक प्रकिया के तहत वाद प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। वर्तमान स्तर पर अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज भूमि की हद तक

किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं है। हमारे मत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रश्नगत आवंटनशुदा भूमि के उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2017 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं किए जाने हेतु अपीलांट प्रतिवादी को पाबन्द किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य हैं।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 447/2014 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.06.2017 यथावत रखी जाती है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 27.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/1/24

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2023/97

क्षेत्रीय वन अधिकारी वनखण्ड इटावा जिला कोटा जरिये वन अधिकारी वनखण्ड इटावा जिला कोटा राज.

– अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी चौथमल जाति मीणा निवासी ग्राम मोरखुन्दना तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

वादपत्र संख्याः 447/2014

चन्द्रकला पत्नी चौथमल जाति मीणा निवासी मोरखुन्दना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

––वादी

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनखण्ड इटावा जिला कोटा राज.।
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

––प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 447/2014 में न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित**

कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 27.01.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री असलम अंसारी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश मीणा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 यथावत रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिकी आज तारीख 27.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

27/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा